

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पांडेय'

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 11/2009
संस्थित दिनांक- 16.07.2008

बशीर पिता मजीद खां,
आयु-57 वर्ष, जाति-मुसलमान,
निवासी-नाका कुआं के पास, अंजड़
जिला बड़वानी म.प्र.

.....परिवादी

वि रु द्ध

1. इस्माईल पिता इब्राहीम,
आयु-57 वर्ष, व्यवसाय-खेती,
2. इदरिश पिता इस्माईल,
आयु-41 वर्ष, व्यवसाय-सुतारी कार्य,
3. मोहम्मद पिता इस्माईल,
आयु-36 वर्ष, व्यवसाय-टेलरिंग,
4. निजाम पिता हमीद,
आयु-41 वर्ष, व्यवसाय-ड्रायव्हर,

सभी निवासी नाका कुआं, अंजड़
जिला बड़वानी म.प्र.

...अभियुक्तगण

परिवादी द्वारा	— श्री बी.के. सत्संगी अधिवक्ता ।
अभियुक्तगण द्वारा	— श्री आर.के. चांदोरे अधिवक्ता ।

—: निर्णय :-
(आज दिनांक 29/12/2015 को घोषित)

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर दिनांक 20.02.08 को दोपहर लगभग 12:00 बजे नाका कुआं के पास अंजड़ में लोक स्थान पर फरियादी बशीर को अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित करने, सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव कर बल व हिंसा कारित करने, फरियादी बशीर को लात-मुक्कों एवं पत्थर से स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित करने तथा उसे लोकशांति भंग करने के आशय से प्रकोपित कर साशय अपमानित करने के लिये भा.द.वि. की धारा-294, 147, 323/149 एवं धारा-504 का अभियोग लगाया गया है ।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य नहीं है ।

3. परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.02.08 को फिरोज के लड़के को उसकी माँ ने मारा था तो फिरोज परिवादी के पास आकर खड़ा हो गया था, तो इस्माईल व इदरिश परिवादी से बोले कि उसने फिरोज के लड़के को क्यों खड़ा किया है तो परिवादी ने मना किया कि उसने खड़ा नहीं किया, तब इसी बात को लेकर दिनांक 20.02.08 को दोपहर 12:00 बजे जब परिवादी ठेला लेकर काम पर जा रहा था तो अभियुक्त इस्माईल, इदरिश, मोहम्मद, निजाम ने रोका और उसे माँ, बहन की अश्लील गालियाँ दी तथा वे लोग परिवादी के साथ मारपीट करने लगे, परिवादी का कमीज फाड़ दिया, अभियुक्त जाहिद भी आ गया तथा उसने पत्थर उठाकर मारा, जो परिवादी को बायीं तरफ पसली पर लगा तथा मारपीट से गाल एवं हाथ पर चोटे आईं। अभियोजन साक्षी धुरगीलाल, खलील, नीरज, शहजाद ने बीच-बचाव किया। अभियुक्तगण कह रहे थे कि कभी जान से खत्म कर देंगे। इस घटना की रिपोर्ट परिवादी ने थाना अंजड़ पर दर्ज करायी, किंतु पुलिस ने परिवादी के कहे अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी और पुलिस थाना अंजड़ पर असंज्ञेय अपराध क्रमांक 77/08 का दर्ज कर परिवादी को मेडिकल-परीक्षण के लिये भेजा। परिवादी ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक बड़वानी को की, जहाँ भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए परिवादी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया।

4. परिवाद के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-294, 147, 323, 323/149, 504 का आरोप लगाये जाने पर अपराध अस्वीकार किया गया है तथा अपना विचारण चाहा है। द.प्र.सं. की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्तों के कथन हैं कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फँसाया गया है, लेकिन अभियुक्तों ने बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है। प्रकरण में अभियुक्त जाहिद पिता अब्दुल की मृत्यु होने से दिनांक 27.11.14 को उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गयी है।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्तों ने दिनांक 20.02.08 को दोपहर लगभग 12:00 बजे नाका कुआं के सामने अंजड़ में लोक स्थान पर फरियादी बशीर को अश्लील गालियाँ देकर उसे क्षोभ कारित किया ?
2	क्या अभियुक्तों द्वारा इसी दिनांक, समय एवं स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर बलवा कारित किया ?
3	क्या अभियुक्तों ने इसी दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी बशीर को लात, मुक्कों एवं पत्थर से मारपीट कर उसे स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित की ?
4	क्या अभियुक्तों द्वारा इसी दिनांक, समय व स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होते हुए फरियादी बशीर को स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित करने का सामान्य उद्देश्य बनाया, जिसके अनुसरण में अभियुक्तों ने फरियादी को लात, मुक्कों एवं पत्थर से मारपीट कर स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित की ?

5	क्या इसी दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्तों ने फरियादी को लोकशांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने के आशय से उसे अपमानित कर प्रकोपित किया ?
6	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 5 का निराकरण :-

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी परिवादी बशीर (परि.सा.1) का कथन है कि वह अभियुक्तों को जानता है, घटना दो-ढाई साल पहले की है, दिनांक 20.02 को दिन के 12:00 बजे की है, वह ठेला गाड़ी लेकर धंधे पर जा रहा था, नाका कुआं के पास अभियुक्त इस्माईल और जाहिद मिले थे, शेष अभियुक्तगण भी वहीं पर थे, इस्माईल ने कहा था कि उसने लड़के को क्यों खड़ा किया, उसके मना करने पर इस्माईल ने मारना शुरू कर दिया था और जाहिद ने भी मारा था, जाहिद ने उसे पत्थर मारा, जो पसली पर लगा था, उसे हाथ और गाल पर चोटे आई थीं । उस समय साक्षी धुरजीलाल, मन्नालाल, नीरज, शहजाद के अलावा और कोई नहीं था, जिन्होंने बीच-बचाव किया था । अभियुक्तों ने उसे धमकी दी थी कि किसी दिन जान से खत्म कर देंगे । उसने थाने पर रिपोर्ट की थी, जो प्र.पी.1 की है, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसे चोटे आने से मेडिकल-परीक्षण के लिये भेजा था । पुलिस ने उसके कहे अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी थी तो उसने पुलिस अधीक्षक बड़वानी को लेखी रिपोर्ट की थी, जो प्र.पी.2 की है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । मुन्ना को खलील के नाम से भी बोलते हैं ।

7. बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में परिवादी ने स्वीकार किया कि घटना के दो दिन पहले झगड़ा नहीं हुआ था, केवल बोलकर चले गये थे एवं बोलने के लिये इस्माईल, इदरिश और मोहम्मद आए थे । उसने दो दिन पहले घटना की रिपोर्ट थाने पर नहीं की थी । साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके घर पर झगड़ा करने आए, तब वह भंगार, रद्दी छाट रहा था, तब फिरोज का लड़का खड़ा हुआ था, जिसे उसने भगाया था, लेकिन वह भागा नहीं था कि उसकी माँ के मारने पर बचा लेंगे । साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना का दिन उसे याद नहीं है, लेकिन घटना की तारीख 20.02.08 थी व घटना नाका कुआं के 40 फीट की दूरी पर हुई थी । घटना के समय बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गये थे । सब लोगों के नाम वह नहीं बता सकता, लेकिन नीरज, खलील, शहजाद और धुरजीलाल ने बीच-बचाव किया था । सभी अभियुक्तगण एक साथ माँ, बहन की गालियां दे रहे थे । उसका मकान पहले मारु मोहल्ले में था, जो मकान उसने 15 साल पहले बेच दिया था । वह अंजड़ में खुद के मकान में रहता था, वह उसने अभियुक्तों से झगड़ा होने के 15 दिन बाद खाली कर दिया था । फरियादी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि मारु मोहल्ले वाले मकान में परिवार के साथ नहीं रहता था । फरियादी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि जब अभियुक्तगण उसे गाली-गलौज कर रहे थे, तब वह भी उन्हें गालियां दे रहा था । अभियुक्तगण जब गालियां दे रहे थे, तब साक्षी खलील, धुरजीलाल, शहजाद और नीरज दूर से देख रहे थे और मारपीट करते समय बीच-बचाव करने आ गये थे । साक्षी

ने स्वीकार किया कि साक्ष्य देने के एक दिन पहले 15 अगस्त थी तथा साक्ष्य देने के समय रमजान का महीना चल रहा था । वह काम के लिये दिन में सुबह 11 से 12 बजे के बीच निकलता है तथा घटना वाले दिन भी 12 बजे के 15 मिनट पहले निकला था । अभियुक्तगण उसे एक साथ मारने लग गये थे और उसका भतीजा उस समय घर से निकल रहा था तथा भीड़ देखकर वह आ गया था । नीरज और धुरजीलाल वहीं पर उपस्थित थे और आ गये थे । फरियादी ने स्वीकार किया कि दीपक पाटीदार के केस में वह साक्षी है और उसके कथन हो चुके हैं । फरियादी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि अभियुक्तों ने उसके साथ कोई झगड़ा, मारपीट व गाली गलौज नहीं की थी । उसने घटना की रिपोर्ट तत्काल उसी दिन थाने पर जाकर लिखायी थी, लेकिन पुलिस ने ठीक से रिपोर्ट नहीं लिखी । फरियादी ने स्वीकार किया कि उसने कोई मेडिकल-परीक्षण के दस्तावेज पेश नहीं किये हैं, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसे कोई चोट नहीं आई थी अथवा अभियुक्तों ने उसके साथ कोई झगड़ा नहीं किया था ।

8. साक्षी मोहम्मद खलील (परि.सा.2) का भी यह कथन है कि वह अभियुक्तों को जानता है, अभियुक्तगण अस्पताल के पीछे अंजड़ में रहते हैं । घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व अंजड़ में नाका कुए के पास की है, दिन के 12 बजे वह अपनी पुत्री को स्कूल से ला रहा था, तभी उसने देखा कि सभी अभियुक्तगण मिलकर लात-घूसों से फरियादी को मारपीट कर रहे थे, जिससे बशीर को गाल एवं पीठ पर चोटे आई थीं । सभी अभियुक्तगण बशीर को गाली गालौज कर रहे थे, जो सुनने में बुरी लगी थी । जहां विवाद हुआ था, वह स्थान अस्पताल के पीछे बायपास रोड़ पर नाका कुआं के पास है । घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाने पर लेखबद्ध करायी थी । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादी उसके चाचा है और उसकी माँ ने न्यायालय में परिवाद लगाया था, जिसमें फरियादी ने उसकी माता के पक्ष में गवाही दी थी । साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी को चोटे आकर खून निकला था, जो कपड़ों में भी लगा था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि खून लगे कपड़े पुलिस ने जप्त किये थे । साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह नहीं बता सकता कि अभियुक्तों ने फरियादी को शरीर पर कहाँ-कहाँ मारा था, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि अभियुक्तों के मारने से फरियादी को चोटे आई थीं । यह अस्वीकार किया है कि उसके सामने घटना नहीं हुई थी अथवा वह फरियादी के कहने से असत्य कथन कर रहा है ।

9. उक्त साक्षियों के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी का परीक्षण फरियादी की ओर से नहीं कराया गया है । यहां तक कि फरियादी ने पुलिस थाना अंजड़ द्वारा उसके कराये गये मेडिकल-परीक्षण के संबंध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं और किसी चिकित्सक या असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी का परीक्षण भी नहीं कराया गया है ।

10. परिवादी स्वयं ने अपने मुख्य-परीक्षण के दौरान उसके साथ मारपीट आरोपी इस्माईल और जाहिद द्वारा करना बताया गया है । परिवादी ने अपने परिवाद में अभियुक्तों द्वारा उसका रास्ता रोकने के संबंध में कथन किया है, लेकिन न्यायालय में दिये गये कथन में अभियुक्त द्वारा से रोकने के संबंध में कोई कथन नहीं

किया गया है । परिवादी ने परिवाद में घटना साक्षी धुरजीलाल, खलील, नीरज और शहजाद के द्वारा देखना बताया गया है, लेकिन खलील के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अपनी ओर से नहीं कराया गया है, जबकि द.प्र.सं. की धारा-200 के अंतर्गत साक्षी शहजाद का परीक्षण कराया गया था । परिवादी ने अपने परिवाद के साथ ऐसे कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह प्रमाणित हो कि अभियुक्तों द्वारा की गयी मारपीट से उसे चोटे आई थीं और उसका मेडिकल-परीक्षण हुआ था । साक्षी खलील (परि.सा.2) ने परिवादी को अपना चाचा होना स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि उसकी माता द्वारा लगाये गये परिवाद में परिवादी ने उसकी माँ के पक्ष में कथन किये थे, ऐसी स्थिति में मोहम्मद खलील (परि.सा.2) फरियादी का हितबद्ध साक्षी होना प्रतीत होता है । परिवादी ने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में दी गयी लिखित रिपोर्ट को भी प्रमाणित करने के लिये किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है ।

11. अभियुक्तों द्वारा फरियादी को लोक स्थान पर कौन-कौन से अश्लील शब्द कहे गये थे, इस संबंध में भी फरियादी एवं उसके साक्षी का कोई स्पष्ट कथन नहीं है । फरियादी एवं उसके साक्षी के कथन से यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तों ने अपने सामान्य उद्देश्य का निर्माण करते हुए फरियादी के साथ लात-मुक्कों एवं पत्थर से मारपीट कर उसे स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित की अथवा उसे लोकशांति भंग करने के आशय से प्रकोपित करने के आशय से साशय लोक स्थान पर अपमानित किया । इस प्रकार परिवादी की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तों ने उक्त घटना दिनांक, स्थान एवं समय पर उसे लोक स्थान पर माँ, बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया । यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तों ने फरियादी को उपहति कारित करने का सामान्य उद्देश्य मिलकर निर्मित किया, जिसके अनुसरण में बलवा कारित करते हुए फरियादी को लात-मुक्कों एवं पत्थर से स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित की अथवा उसे लोक शांति भंग करने के आशय से प्रकोपित कर साशय अपमानित किया । ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-294, 147, 323, 323/149 एवं धारा-504 का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है ।

12. अतः उक्त अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए भा.द.वि. की धारा-294, 147, 323, 323/149 एवं धारा-504 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

13. अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

14. प्रकरण में कोई भी जप्त संपत्ति नहीं है ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.